

37

राजस्थान सरकार

मालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

कार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का वसेठबनाम ठाकुरलाल दीनदयालराजेन्द्र शिरो भेटूर शासन

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/20/2022

निर्णय दिनांक :-

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम भाठकी की आ0 ख0 नं0 540 कुल रकबा 0.2500 किस्म जमीन गांधीमरघर में से 0.02 रकबे पर श्री ठाकुरलाल दीनदयाल राजेन्द्र पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर धुसा इधन पिठ भटूर शासन कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का वसेठ द्वारा दिनांक 22/12/2021 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक वसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी ठाकुरलाल दीनदयाल राजेन्द्र जाति शासन निवासी भाठकी को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ठाकुरलाल दीनदयाल राजेन्द्र उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 340 रकबा 0.2500 में से 0.02 रकबे किस्म गांधीमरघर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 44Paise का 50 गुणा 225 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी वसेठ भू0 अ0 निरीक्षक वसेठ को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मौजू
तहसीलदार
तहसील (कठूमर)